क्रम-संख्या-62

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 11 मार्च, 2016

फाल्गुन 21, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 369/79-वि-1–16-1(क)1-2016

लखनऊ, 11 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 11 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2016]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) यह 16 दिसम्बर, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।